प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 27.03.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6005 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6005 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत पिपरा बोरिंग से कालर द्वारा मोटरसाइकिल और साइकिल के आपस में टकरा जाने से दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.तरेश पुत्र गंगाधर सा0 बनौली, शिवापार थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावां भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

__पीआरवी स्टाफ-__ का0 इन्द्रजीत वर्मा, का0 भरत कुमार सोनी, हो0गा0 महेन्द्र नाथ मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 149 वाहनों से 1,60,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 27.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 149 वाहनों से 1,60,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 04.02.2026 को मु0अ0सं0 201/2026 धारा 64(1), 351(3) , 316(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 शहजाद उर्फ सहजादे पुत्र नूर मोहम्मद निवासी मोहल्ला जमुनिया बाग चकसा हुसैना थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को मगहर बाईपास तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 26.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह, का0 विशाल कुमार सिंह।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 06 स्थान पर लगवाये गये 32 सीसीटीवी कैमरे

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत आज दिनाँक 27.03.2026 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 06 स्थान पर 32 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 16 कैमरा, थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 07 कैमरा, थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

ऑपरेशन दहन के तहत मादक पदार्थों के विनिष्टीकरण के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा गोष्ठी, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन सभागार में जनपद में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, गैंगस्टर एक्ट के लंबित मामलों के निस्तारण एवं ऑपरेशन दहन के तहत मादक पदार्थों के विनिष्टीकरण के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा गोष्ठी कर समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनके तहत संवेदनशील स्थलों की पहचान कर विशेष सतर्कता बरती जाए।

01- त्योहारों के दृष्टिगत फ्लैग मार्च, फुट पेट्रोलिंग कर आमजन से संवाद स्थापित किया जाए।

02- सोशल मीडिया पर भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, तथा ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

03- गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश।

04- गैंगस्टर एक्ट के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चला कर कार्यवाही की जाए।

05- अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उनके जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही भी प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

06- ऑपरेशन दहन के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों के मालखानों में रखे गए मादक पदार्थों के विनिष्टीकरण/निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार कराई जाए।

07- मादक पदार्थों के निस्तारण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय के आदेशों एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से की जा जाए।